सीएसआईआर-सीरी में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम विषयक व्याख्यान का आयोजन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में दिनांक 4 से 9 दिसंबर 2023 की अवधि देश भर में "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह" के रूप में मनाई जा रही है। माननीय मंत्रालय एवं सीएसआईआर मुख्यालय से प्राप्त अनुदेशों के अनुपालन में सीएसआईआर-सीरी में दिनांक : 8 दिसंबर, 2023 को श्री जय शंकर शरण, प्रशासन नियंत्रक ने आमंत्रित व्याख्यान दिया। आयोजन का उद्देश्य कार्य स्थल पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन दुर्व्यवहार को रोकने एवं इस संबंध में सहकर्मियों को संवेदनशील/सुग्राही बनाना था। संस्थान के सभागार में आयोजित व्याख्यान के दौरान संस्थान के निदेशक डॉ पी सी पंचारिया सहित वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा अन्य सहकर्मीवृद के साथ-साथ महिला सहकर्मी, परियोजना कार्मिक एवं शोधार्थी आदि उपस्थित थे।

आमंत्रित व्याख्यान देते हुए श्री जय शंकर शरण प्रशासन नियंत्रक

आमंत्रित व्याख्यान देते हुए श्री जय शंकर शरण, प्रशासन नियंत्रक एवं सभागार में उपस्थित सहकर्मीवृंद

श्री जय शंकर शरण, प्रशासन नियंत्रक ने अपने रोचक व्याख्यान के दौरान बताया कि इस अधिनियम को आधिकारिक रूप से "महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (POSH) 2013" कहा जाता है। उन्होंने सभी सहकर्मियों को 'महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के प्रमुख बिदुओं पर प्रकाश डालते हुए भारतीय संस्कृति के वेदवाक्य **'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:'** की सोदाहरण व्याख्या की। POSH 2013 के प्रमुख बिदुओं पर प्रकाश डालते हुए श्री शरण ने इस अधिनियम के प्रति केंद्र सरकार की गंभीरता को इंगित किया। श्री शरण ने व्याख्यान के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के आचरण नियमों पर भी चर्चा की।

इस अवसर पर **डॉ पी सी पंचारिया**, निदेशक, सीएसआईआर-सीरी ने अपने संबोधन में कहा कि सभी सहकर्मियों को इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि विषय की गंभीरता को देखते हुए श्री शरण से इस पर व्याख्यान देने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि संस्थान में निकट भविष्य में नए सहकर्मियों के कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है इसलिए भविष्य में भी इस प्रकार के व्याख्यान आयोजित किए जाएं ताकि सभी सहकर्मी इससे लाभान्वित हो सकें।

व्याख्यान के दौरान सभागार का दृश्य

इससे पूर्व कार्यक्रम का संचालन करते हुए **श्री गुरमेंद्र सिह,** वरिष्ठ सचिवालय सहायक ने निदेशक महोदय एवं अन्य उपस्थित सहकर्मियों का स्वागत किया तथा सभी सहकर्मियों को इस आयोजन की पृष्ठभूमि से अवगत कराया। अंत में उन्होंने औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया।

आमंत्रित व्याख्यान से पूर्व सम्मेलन कक्ष में संस्थान की महिला कार्मिकों की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संस्थान की यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति की अध्यक्ष डॉ निधि चतुर्वेदी, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक ने की। बैठक में नियमित महिला कार्मिकों के अलावा सभी

महिला परियोजना सहायक, पी.एच.डी छात्राएँ, संविदा कर्मी आदि उपस्थित थीं। संस्थान के प्रशासन नियंत्रक श्री जय शंकर शरण ने भी बैठक में प्रतिभागिता की।

बैठक में प्रशासन नियंत्रक ने "महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (POSH) 2013" के प्रावधानों व इस संबंध में महिला-अधिकारों से अवगत कराया। साथ ही उन्हें संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध शिकायत पोर्टल व संबंधित समिति के संपर्क सूत्र आदि की जानकारी दी।

महिला कार्मिकों को संबोधित करते श्री जय शंकर शरण हुए, प्र नि

महिला सहकर्मियों को आवश्यक जानकारी देतीं डॉ निधि चतुर्वेदी

इस अवसर पर समिति की अध्यक्ष डॉ निधि चतुर्वेदी ने भी सभी महिला कार्मिकों को संबोधित किया और इस प्रकार की किसी भी घटना/मामले को बिना किसी डर और संकोच के तुरंत ऑनलाइन अथवा लिखित रूप में वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाने की सलाह दी।

समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार

सीमा सन्देश

शेखावाटी सन्देश

सीरी में महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम पर व्याख्यान का आयोजन

पिलानी (सीमा सन्देश सं)। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं सीएसआईआर मुख्यालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में कार्य स्थल पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन दुर्व्यवहार को रोकने एवं इस संबंध में सहकर्मियों को संवेदनशील/सुग्राही बनाने के उद्देश्य से सीएसआईआर-सीरी में 8 दिसंबर, 2023 को व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों एवं अन्य सहकर्मियों के साथ-साथ महिला सहकर्मी, परियोजना कार्मिक एवं शोधार्थी आदि उपस्थित थे। संस्थान के प्रशासन नियंत्रक जय शंकर शरण ने अपने रोचक व्याख्यान के दौरान बताया कि इस अधिनियम को आधिकारिक रूप से "महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (पीओएसएच) 2013" कहा जाता है। उन्होंने सभी सहकर्मियों को "महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम से परिचित कराते हुए इसके प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। शरण ने व्याख्यान के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के आचरण नियमों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर डॉ पी सी पंचारिया, निदेशक, सीएसआईआर-सीरी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि सभी सहकर्मियों को इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी होना अनिवार्य है। उन्होंने नियमित रूप से ऐसे व्याख्यानों/कार्यशालाओं के आयोजन का परामर्श दिया। इससे पूर्व कार्यक्रम का संचालन करते हुए गुरमेंद्र सिंह ने निदेशक एवं अन्य उपस्थित सहकर्मियों का स्वागत किया तथा सभी सहकर्मियों को इस आयोजन की पृष्ठभूमि से अवगत कराया। मीडिया एंड जनसंपर्क अधिकारी रमेश बौरा ने बताया कि 4 से 9 दिसंबर की अवधि देश भर में "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह" के रूप में मनाई जा रही है।

राजस्थान पत्रिका

महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम पर व्याख्यान

पिलानी. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं सीएसआईआर मुख्यालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में कार्य स्थल पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन दुर्व्यवहार को रोकने एवं इस संबंध में सहकर्मियों को संवेदनशील/सुग्राही बनाने के उद्देश्य से सीएसआईआर-सीरी में व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों एवं अन्य सहकर्मियों के साथ-साथ महिला सहकर्मी, परियोजना कार्मिक एवं शोधार्थी आदि उपस्थित थे। संस्थान के प्रशासन नियंत्रक जय शंकर शरण ने अपने रोचक व्याख्यान के दौरान बताया कि इस अधिनियम को आधिकारिक रूप से "महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013" कहा जाता है। उन्होंने सभी सहकर्मियों को "महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम से परिचित कराते हुए इसके प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। शरण व्याख्यान के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के आचरण नियमों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर डॉ पी सी पंचारिया, निदेशक, सीएसआईआर-सीरी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि सभी सहकर्मियों को इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी होना अनिवार्य है। उन्होंने नियमित रूप से ऐसे व्याख्यानों/कार्यशालाओं के आयोजन का परामर्श दिया। इससे पूर्व कार्यक्रम का संचालन करते हुए गुरमेंद्र सिंह ने निदेशक एवं अन्य उपस्थित सहकर्मियों का स्वागत किया तथा सभी सहकर्मियों को इस आयोजन की पृष्ठभूमि से अवगत कराया। मीडिया एंड जनसंपर्क अधिकारी रमेश बौरा ने बताया कि 4 से 9 दिसंबर की अवधि देश भर में "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह" के रूप में मनाई जा रही है।

दैनिक मृदुल पत्रिका

राजस्थान

8 जयपुर

सीरी में महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम पर व्याख्यान

पिलानी (मृदुल पत्रिका)। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं सीएसआईआर मुख्यालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में कार्य स्थल पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन दुर्व्यवहार को रोकने एवं इस संबंध में सहकर्मियों को संवेदनशील/सुग्राही बनाने के उद्देश्य से सीएसआईआर-सीरी में 8 दिसंबर, 2023 को व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों एवं अन्य सहकर्मियों के साथ-साथ महिला सहकर्मी, परियोजना कार्मिक एवं शोधार्थी आदि उपस्थित थे।

संस्थान के प्रशासन नियंत्रक श्री जय शंकर शरण ने अपने रोचक व्याख्यान के दौरान बताया कि इस अधिनियम को आधिकारिक रूप से महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 कहा जाता है। उन्होंने सभी सहकर्मियों को महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम से परिचित कराते हुए इसके प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। श्री शरण ने व्याख्यान के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के आचरण नियमों पर भी चर्चा की।

इस अवसर पर डॉ पी सी पंचारिया, निदेशक, सीएसआईआर-सीरी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि सभी सहकर्मियों को इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी होना अनिवार्य है। उन्होंने नियमित रूप से ऐसे व्याख्यानों/कार्यशालाओं के आयोजन का परामर्श दिया। इससे पूर्व कार्यक्रम का संचालन करते हुए गुरमेंद्र सिंह ने निदेशक एवं अन्य उपस्थित सहकर्मियों का स्वागत किया तथा सभी सहकर्मियों को इस आयोजन की पृष्ठभूमि से अवगत कराया। मीडिया एंड जनसंपर्क अधिकारी रमेश बौरा ने बताया कि 4 से 9 दिसंबर की अवधि देश भर में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह के रूप में मनाई जा रही है।